क्रम-संख्या-336 (क-9)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—
डब्लू०/एन०पी०/91/2008—10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्शेसनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2007
अग्रहायण 9, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
चिकित्सा अनुभाग—9

संख्या 3020/5-9-2007-6(74)-94-टी०सी०
लखनऊ, 30 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

प०आ०—673

चूँकि राज्य सरकार ने गर्भधारण-पूर्व और प्रसूति-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 57 सन् 1994) की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन सरकारी अधिसूचना संख्या 1795/5-9-2006-6(74)-94—टी०सी०, दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए समुचित प्राधिकरण की नियुक्ति की थी, जिसमें डा० एस०एस० श्रीवास्तव, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें और राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष थे। अब उक्त अध्यक्ष सेवानिवृत्त हो गए हैं।

2—अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित गर्भधारण-पूर्व और प्रसूति-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 57 सन् 1994) की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए समुचित प्राधिकरण की नियुक्ति करते हैं, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

1– डा० एल०बी० प्रसाद, — अध्यक्ष
महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें
और राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,
परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

2– श्रीमती यशोधरा, — सदस्य
कृति रिसोर्स सेन्टर, सी–1465,
इन्दिरा नगर, लखनऊ।

3– श्री जे०एन० सिन्हा, — सदस्य
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन।

3–उपर्युक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के साथ पठित खण्ड (क) के अधीन राज्यपाल अग्रतर राज्य के प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट को अपनी अधिकारिता के जिले के लिए समुचित प्राधिकारी नियुक्त करते हैं और यह निदेश देते हैं कि ऐसे प्राधिकारी पैरा-2 में निर्दिष्ट समुचित प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट जिले के किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को गर्भधारण-पूर्व और प्रसूति-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के क्रियान्वयन के अनुश्रवण में सहायता करने के लिए जैसा कि आवश्यक समझा जाए अपना नामनिर्देशिती नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

आज्ञा से,
नीता चौधरी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English tanslation of notification no.3020/V-9–2007-6(74)/94-T.C., dated November 30, 2007:

No. 3020/V-9–2007-6(74)-94-T.C.
Dated Lucknow, November 30, 2007

WHEREAS under sub-section (2) of section 17 of the Pre-conception and pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (Act no. 57 of 1994) the State Government had appointed the Appropriate Authority for the whole of Uttar Pradesh in Government notification no. 1795/V-9–2005-6(74)-94 T.C., dated December 13, 2006, consisting of Dr. S.S. Srivastava, Director General, Medical Health Services and National Programme, Monitoring and Evaluation, Directorate of Family Welfare, Uttar Pradesh as the Chairperson. Now the said Chairperson has retired.

2-NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 17 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (Act no. 57 of 1994) *read* with section 21 of the General Clause Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of the aforesaid notification dated December 13, 2006, the Governor is pleased to appoint the Appropriate Authority for the whole of Uttar Pradesh, consisting of :–

1.	Dr. L.B. Prasad, Director General, Medical Health Services and National Programme, Monitoring and Evaluation, Directorate of Family Welfare, Uttar Pradesh.	*Chairperson*
2.	Smt. Yashodhara, Kriti Resource Center, C-1485, Indira Nagar, Luchnow.	*Member*
3.	Shri J.N. Sinha, Special Secretary and Additional Legal Remembrancer, Uttar Pradesh Government.	*Member*

3. Under clause (a) *read* with clause (b) of sub-section (3) of section 17 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to appoint the District Magistrate of every district of the State as the Appropriate Authority for the district of his jurisdiction and to direct that such Authorities shall function under the Administrative Control of the Appropriate Authority referred to in Para 2. The District Magistrate may nominate an executive magistrate of the district as his/her nominee to assist him/her in monitoring the implementation of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques Act, as deemed necessary.

By order
NITA CHOWDHURY,
Pramukh Savhiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 172 राजपत्र–(हि०)–(348)–2008–597 प्रतियां–(क० / टी० / आ०)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा० चिकित्सा–(349)–2008–1000 प्रतियां–(क० / टी० / आ०)।

क्रम-संख्या—357 (ख-11)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 31 जुलाई, 2008

श्रावण 9, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

चिकित्सा अनुभाग–9

संख्या 1831/5-9-2008-6(74)-94 टी०सी०

लखनऊ, 31 जुलाई, 2008

अधिसूचना

प०आ०–582

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या–57 सन् 1994) की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या–3020/5-9-2007–6(74)-94 टी0सी0, दिनांक 30 नवम्बर, 2007 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को डा० एल०बी० प्रसाद, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं और राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, जो स्थानान्तरित हो गये हैं, के स्थान पर पदेन अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

नीता चौधरी,

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–9
सं0–1372/ 5-9-2009-6(74)/94-टी.सी.,
लखनऊ : दिनांक : 28 जुलाई, 2009,

: अधिसूचना :

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित गर्भधारण–पूर्व और प्रसूति–पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या–57, सन् 1994) की धारा–17 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या–3020/5–9–2007–6(74)/94–टी.सी., दिनांक 30 नवम्बर, 2007 का आंशिक उपांतर करके श्री राज्यपाल श्री जे0एन0 सिन्हा, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार, जो स्थानान्तरित हो गये है, के स्थान पर श्री एस0एम0 हसीब, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य समुचित प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

28/7/09
(प्रदीप शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1372(1)/5-9-2009–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना से महामहिम श्री राज्यपाल महोदय को अवगत कराने का कष्ट करें।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
5– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6– प्रधानाचार्य, समस्त मेडिकल कॉलेज, उ0प्र0।
7– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
8– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
9– महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
10– श्रीमती यशोधरा, कृति रिसोर्स सेन्टर, सी–1485, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
11– श्री एस0एम0 हसीब, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
12– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
13– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0।

14– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार/प्रसार कराने का कष्ट करें।

15– संयुक्त निदेशक (प्रकाशन) मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय प्रेस, उ0प्र0, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी–अँग्रेजी की एक–एक प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 के सामान्य परिनियम संबंधी खण्ड में प्रकाशित करते हुए हिन्दी–अँग्रेजी की एक–एक हजार मुद्रित प्रतियाँ उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग–9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

16– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमर प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

81-93

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–9
संख्या–1540/पांच–9–2013–6(74)/94टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 04 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियग संख्या–10, सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित गर्भधारण–पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (अधिनियम संख्या–57, सन् 1994) की धारा–17 की उप धारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या–3020/5–9–2007–6(74)/94टी0सी0, दिनांक 30 नवम्बर 2007 का आंशिक उपान्तरण करके, राज्यपाल श्रीमती यशोधरा कृति रिसोर्स सेन्टर, सी–1485, इन्दिरा नगर, लखनऊ के स्थान पर श्रीमती रूपरेखा वर्मा, पूर्व कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय/साझी दुनिया, राधे कम्पलेक्स के सामने, महानगर, लखनऊ को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए समुचित प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या– (1)/पांच–9–2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0 ।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
4– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0।
5– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
6– प्रधानाचार्य, समस्त मेडिकल कालेज उ0प्र0।
7– निजी सचिव–मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
8– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0।
9– महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, परिवार कल्याण उ0प्र0।
10– श्रीमती यशोधरा कृति रिसोर्स सेन्टर, सी–1485 इन्दिरा नगर लखनऊ

SD (FW)

RAJENDRA UO

11— प्रो0 रूपरेखा वर्मा, पूर्व कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ/साझी दुनिया, राधे कम्पलेक्स के सामने, महानगर, लखनऊ

12— समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।

13— समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट उ0प्र।

14— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उ0प्र0।

15— निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश का व्यापक प्रचार—प्रसार कराने का कष्ट करें।

16— संयुक्त निदेशक, (प्रकाशन) मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय प्रेस उ0प्र0 ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की एक हजार मुद्रित प्रतियाँ उ0प्र0 शासन के चिकित्सा अनुभाग—9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

17— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)

संयुक्त सचिव।

D/ 5/3/014

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–9
संख्या–526/पांच–9–2014–6(74)/94टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 5 मार्च, 2014

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या–57 सन् 1994) की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या–1372/5–9–2009–6(74)/94टी0सी0 दिनांक 28 जुलाई, 2009 द्वारा यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–3020/5–9–2007–6(74)/94टी0सी0, दिनांक 30 नवम्बर 2007 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, श्री एस0एम0 हसीब, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार के स्थान पर श्री जे0पी0 सिंह, विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश सरकार को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए समुचित प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करते है।

2776
JD(FW)
DFW/PA
5/3/2014

आज्ञा से,

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव।

D.(FW) 6.3.14

संख्या–526 (1)/पांच–9–2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
4– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0।
5– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
6– प्रधानाचार्य, समस्त मेडिकल कालेज उ0प्र0।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

8— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0।
9— महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, परिवार कल्याण उ0प्र0।
10— श्री जे0पी0 सिंह, विशेष सचिव, अपर विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
11— समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
12— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उ0प्र0।
13— निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश का व्यापक प्रचार—प्रसार कराने का कष्ट करें।
14— संयुक्त निदेशक, (प्रकाशन) मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय प्रेस उ0प्र0 ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की पॉच सौ मुद्रित प्रतियॉ उ0प्र0 शासन के चिकित्सा अनुभाग—9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।